फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

गुरमेलकौर आदि बनाम अमरजीतसिंह आदि

किस्म मुकदमाः–212(2) आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–314/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष की दिनांक 24.01.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता गुरबचनसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी गुरूसर मोडिया के नाम से चक 32 एमओडी के प0न0 22/263 के कि0न0 1, 3, 8, 9, 12, 13 में 1.442 है0 बारानी मय गै0मु0 रास्ता व प0नं0 24/264 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.226 है0 बारानी व प0न0 24/265 कि0न0 1, 10/0.139 है0 इस प्रकार कुल 4.807 है0 बारानी मय गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के पिता गुरबचनसिंह दिनांक 26.06.2015 को मृत्यु हो चुकी है। उक्त रकबा में प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता के जीवनकाल में पिता के साथ संयुक्त रूप से सुधार कर काबिल काश्त किया है। पिता ने अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण को उनका 2/5 हिस्सा दे दिया था परन्तु रकबा का किला बंटवारा नही हुआ था। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के सगे भाई है, इन्हे अपने हिस्सा का रकबा आधे हिस्से पर काश्त हेतु दिया था किन्तु अप्रार्थीगण 1 व 2 ने प्रार्थीगण को फसल में हिस्सा नही दिया व प्रार्थीगण के रकबा पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा कर लिया। प्रार्थीगण अपने हिस्सा के रकबा पर से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल करवाने की अधिकारीणी है। जैरप्रकरण रकबा संयुक्त खाता का है, यदि अप्रार्थीगण ने उक्त रकबा में से प्रार्थीगण की भूमि का कब्जा किसी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की तो छोटी उम्र में ही शादी कर दी गयी थी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता ने उक्त रकबा को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देना तय किया था व अप्रार्थी 1 व 2 का उक्त रकबा पर कब्जा काश्त उनके जीवनकाल से ही चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 व 2 के पिता ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पुत्रों के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत तहरीर करवा दी थी, जिसका इंतकाल भी अप्रार्थी 1 व 2 के पुत्रों के पक्ष में हो चुका है अप्रार्थी 1 व 2 वसीयत अनुसार अपने रकबा पर काबिज है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अतिक्रमी नही है। प्रार्थना पत्र मय कोस्ट निरस्त किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जैरप्रकरण रकबा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 अनुसार गुरबचनसिंह वल्द केहरसिंह जाति जटसिख सा0गुरूसर मोडिया के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि जैरप्रकरण रकबा की वसीयत उनके पिता ने उनके पुत्रों के पक्ष में तहरीर करवा दी है, जिसका इंतकाल भी उनके पक्ष में होना बताया है। किन्तु अप्रार्थी 1 व 2 ने ऐसा कोई दस्तावेज यानि वसीयत की प्रति/इंतकाल की प्रति प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो की उक्त रकबा की वसीयत की हुई है। जैरप्रकरण रकबा पैतृक है, यह साबित है। प्रार्थीगण ने उक्त रकबा में 2/5 हिस्सा को रिसीवर करवाना चाहते है, किन्तु उन्होने यह साबित नही किया है कि कौनसा रकबा उनके पिता द्वारा उन्हे दिया गया था व कौनसे किला रिसीवर किया जाना है। रिसीवरी एक कठोरतम उपाय है, उक्त प्रकरण में कैश सिक्योरिटी व रकबा रिसीवर किया जाना उचित नही लगता है। किन्तु उक्त रकबा पैतृक साबित है व प्रार्थीगण के पिता का रकबा है। प्रार्थीगण के हित वाद पत्र में तय होगें, किन्तु प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहा है व सुविधा का संतुलन व ना पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थीगण का साबित है। इसलिये प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार कर किया जाता है व दिनांक 29.10.2015 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे चक 32 एमओडी के प0न0 22/263 के कि0न0 1, 3, 8, 9, 12, 13 में 1.442 है0 बारानी मय गै0मु0 रास्ता व प0नं0 24/264 कि0न0 1,2,8 ता 13, 18 ता 23 में 3.226 है0 बारानी व प0न0 24/265 कि0न0 1, 10/0.139 है0 इस प्रकार कुल 4.807 है0 बारानी मय गै0मु0 रास्ता भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:34:54 IST
Reason: SelfAttested